this work which should be done with the utmost expedition and with the greatest amount of sincerity. We are not doing it just to please somebody here or there. We have to develop the Hindi literature of law, Hindi texts of law and Hindi legal translation as quickly as possible and as sincerely as we can.

Dr. L. M. Singhvi: Do Government propose to set up a department or some machinery to study and analyse social legislation in its working and in its implementation in the country. He might briefly say something about it.

Shri A. K. Sen: For that purpose, my view is that an extra governmental organisation is better suited. That is why have been assisting the Law Institute.

Dr. L. M. Singhvi: Not sociological law.

Shri A. K. Sen: It is one of their programmes to carry on research in that....

Dr. L. M. Singhvi: Not so far.

Shri A. K. Sen: ....and suggest legislation with regard to new topics of social laws to meet new needs. It is not easy for any government, far less ours, to enter into the field of research. In every country, government-sponsored, semi-governmental organisations or autonomous organisations carry on research. We have given substantial assistance to the Law Institute. We are trying to develop it as a good institution of legal research, to carry on fundamental researches in law. We are trying to develop in other areas; we have appealed to State Governments also. Unfortunately, the hon. Member forgets that the emphasis today is not on law at all but on more dams, more power, more steel, more factories and so on. We, lawyers, are not a very popular community at the present moment.

Mr. Speaker: The question is

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1964, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 75, 76 and 77 relating to the Ministry of Law".

The motion was adopted.

17·29 hours.

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 6, 7 and 114 relating to the Ministry of Community Development and Co-operation for which 5 hours have been allotted.

DEMAND NO. 6—MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 26,88,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Ministry of Comunity Development and Co-operation."

DEMAND NO. 7—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 3,62,52,000 be granted to the President, to complete the sum neces-

[Mr Speaker]

sary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March 1954, in respect of the 'Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation."

DEMAND NO. 114—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 29,33,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Community Development and Co-Operation'."

Does any Member want to move the Cut Motion?

The Members are absent. The Cut Motion is not moved.

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब, मैं ने और बहुत से मेम्बर्ज ने दरख्वास्त दी थी कि इस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर डिस्कशन के लिये टाइम बढ़ा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय हम पर जो हद्दें लगी हुई हैं, उन के अन्दर टाइम को बढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं है । जितनी देर आप शाम को बैठना चाहें, उतना ही टाइम बढ़ाया जा सकता है । इस में मैं आप के साथ हूं । लेकिन उस वक्त यह एतराज न उठाया जाये कि हाउस में थोड़े से मेम्बर्ज रह गए । अगर आप तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूं

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : सर, कल सारा दिन मंत्रालय चलेगा । मिनिस्टर साहब परसों रिप्लाई कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कल देखा जाएगा । आज क्या आप एक घंटा और बैठना चाहते हैं—

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : और बैठने के लिये भी आप तैयार नहीं हैं । मैं कहां से वक्त निकालूंगा ?

श्री सरजू पाण्डेय : (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात पर आऊं मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं । मैं ने आज ही कट मोशन दी हैं और मैं चाहता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि इनको एडमिट कर लिया जाये —

अध्यक्ष महोदय : आज ही क्यों दी है ? इतने पुराने मैम्बर हो कर आप—

श्री सरजू पाण्डेय : बाहर चला गया था ।

हमारे सामने सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगें उपस्थित हैं । सभी इस बात को मानते हैं और मैं भी समझता हूं कि इस देश की आर्थिक प्रगति के लिये इस मंत्रालय का बड़ा योगदान हो सकता है । हमने अपने देश में समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना का व्रत लिया है और साथ ही साथ यह कहा है कि हम मुल्क का विकास प्रजातांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में इस मंत्रालय का महत्व और भी बढ़ जाता है ।

इस मंत्रालय की जो रिपोर्ट हमारे सामने है वह बहुत चमकती हुई तस्वीर हमारे सामने उपस्थित करती है । इसमें यह बतलाने की कोशिश की गई है कि इस मंत्रालय ने इस पंचायत राज के सिलसिले में, और कोओपरेशन के फील्ड में काफी प्रगति की है, बड़ा काम किया है । सामुदायिक विकास के बारे में भी कहा

गया है कि काफी काम हुआ है । मैं समझता हूं कि रिपोर्ट में इन सब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है और स्वयं मंत्रालय के लोग भी इसको महसूस करते होंगे ।

इस विभाग के जिम्मे पंचायत राज, सामुदायिक विकास और कोआपरेशन ये तीन मुख्य काम हैं । सब से पहले मैं पंचायत राज को लेता हूं । इस में कोई शक नहीं है कि हम ने पंचायतों की स्थापना कर के इस बात का प्रयत्न किया है कि गांवों के लोगों को शासन के कामों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाये । लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायत राज की स्थापना अभी तक नहीं हुई है । रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है । यह भी इस में कहा गया है कि जिन राज्यों में इनकी स्थापना हुई है, वहां पर भी काम सही मानों में चल रहा है, ठीक ढंग से चल रहा है और जिस उद्देश्य से उनकी स्थापना की गई थी, वह पूरा हो रहा है ।

17.32 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

पंचायतों की स्थापना के बाद हम देखते हैं कि गांव की एकता में काफी फूट पैदा हुई है और कहीं कहीं तो गांव पंचायतों के चुनाव में, जिस तरह से बड़े इलैक्शन में जातपात और दूसरी तरह की बुराइयां उभर आती हैं, उसी तरह वे बुराइयां इसमें भी उभर आई हैं । गांवों की एकता को इन चुनावों ने काफी हद तक धक्का पहुंचाया है, बरबाद किया है, कहीं कहीं तो लाठियों का प्रयोग भी इन चुनावों में हुआ है । उद्देश्य इन पंचायतों का बहुत अच्छा है, इसको मैं मानता हूं । मैं यह नहीं कहता हूं कि गांव पंचायतों के चुनाव न कराये जायें । लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत राज का जो कानून है, उस में एकरूपता होनी चाहिये । हमारे सूबे को ही आप लें । वहां पर सभापति का चुनाव तो सीक्रेट बैलट से होता है लेकिन मैम्बरों का चुनाव हाथ उठा कर होता है । नतीजा यह होता है कि गांवों के वे लोग जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, या लटैंत किस्म के होते हैं, उनके खिलाफ कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं होता है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक बड़े पुराने सामाजिक अपराधी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये । मैंने उससे पूछा कि क्या तुम आ जाओगे । उसने जवाब दिया आपकी कृपा से आ जाऊंगा । उसने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे मुकाबले में खड़ा हो सके । इसलिये गांव में जो शक्तिशाली वर्ग है.....

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : आपकी कंस्टिट्यूएंसी में ही ऐसा होता है ।

श्री सरजू पाण्डेय : आपके बिहार में भी होता है और मैं बता सकता हूं ।

मैं समझता हूं कि गांव के जो लोग शक्तिशाली नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके लिये जब तक कोई खास व्यवस्था नहीं होगी जिस में वे आजादी से वोट दे सकें, आजादी से अपने नुमाइंदों को चुन सकें, तब तक कतई तौर पर पंचायती राज कामयाबी के साथ नहीं चल सकता है ।

अब मैं अदालत पंचायतों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा । अदालत पंचायतों का हमारे यहां चुनाव होता है और आम तौर पर इन अदालत पंचायतों का इस्तेमाल ग में गरीबों को सताने के लिये होता है । गांव के जमींदार या पुराने बड़े लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि गरीब आदमी

[श्री सरजू पाण्डेय]

को जो कुछ करने के लिये कह दिया जाता है, जो ड्यूटी उसके सुपुर्द कर दी जाती है, उसको वह करे और अगर वह नहीं करता है, तो उसको गलत मुकदमे चला कर दंडित किया जाता है। अदालत पंचायतों को इस बात का अखत्यार है कि सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक वे बिना सरखत के दावे ला सकती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो मुखालिफत करता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं और इस तरह के पचासों मुकदमे अदालत पंचायतों में चलते रहते हैं।

इस बात का जोरदार प्रचार होता है कि राजस्थान में पंचायतों का प्रयोग बहुत सफल सिद्ध हुआ है। अभी थोड़े दिन की बात है, वहां के सदन में मुख्य मंत्री की ओर से बताया गया था कि सही मानों में और ठीक ढंग से उनका काम नहीं चल रहा है। जो आदर्श पंचायतें हैं, जिन की बड़ी तारीफ की जाती है, उनके बारे में भी वहां के मंत्रियों को यह कहना पड़ा है कि सही मानों में काम नहीं चल रहा है। मेरा कहना यह है कि गांव पंचायतें तभी सही मानों में कामयाब सिद्ध हो सकती हैं जबकि गांवों में उन लोगों को जो जो कि आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं जो गरीब हैं, इस बात का मौका मिले कि वे भी उठ करके आगे बढ़ें और मुकाबला कर सकें। उन लोगों को जो सम्पति में शक्तिशाली नहीं हैं जिन के पास इतनी ताकत नहीं है उनको इसका पूरा मौका मिलना चाहिये कि वे खड़े हो सकें।

अब मैं सामुदायिक विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ९९ परसेंट गांव किसी न किसी ब्लाक के अन्तर्गत आ गए हैं। पहली बात तो यह है कि इस विभाग में फिजूलखर्ची बहुत ज्यादा है। ऐसी ऐसी योजनायें बनती हैं जिनका कि गांवों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। गांवों की क्या क्या आवश्यकतायें हैं, इसको अगर गांव वाले ही देखें और देख करके योजनायें बनायें तो अच्छा होगा। अगर वे यह महसूस करते हैं कि उन के गांवों के लिए नालियों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, पाखाने की जरूरत है, तोउनको इसके लिए योजना बनाने का अवसर दिया जाना चाहिये और तब तो बात समझ में आ सकती है। मगर आज योजनायें ऊपर से बना कर गांव वालों को दे दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि ऐसे ऐसे काम करो। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। मैं ने इस बात का प्रेजीडेंशल एड्रेस में भी जिक्र किया था। एक बार हमारे यहां यह योजना चली कि बूढ़ों को पढ़ाया जाए। अब सवाल पैदा हुआ कि बूढ़े कैसे पढ़ेंगे। मिनिस्टर साहब ने अपने एडवाइजर्ज को, अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्होंने कहा कि गांवों में ढोलक बाजों का प्रबन्ध कर दिया जाए, सब बूढ़े आयेंगे और पढ़ने लगेंगे। आठ लाख रुपये के ढोलक खरीदे गए। चार लाख के तो गांवों में पहुंचा दिये गए और बाकी चार लाख के ढोलकों की बिल्टी ही नहीं छुड़ाई गई और वे स्टेशन पर सड़ गए। उनको छुड़ाया ही नहीं गया। यह जब सम्पूर्णानन्द जी वहां थे, तब की बात है।

एक बार कहा गया कि गांव के छोटे बच्चों के लिए पाखानों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके बारे में कोई दो राये नहीं हो सकती हैं कि इनकी व्यवस्था होनी चाहिये। बहुत से गांवों में पाखानों की सफाई की ही व्यवस्था नहीं है। मैंने पूछा कि जहां पर मेहतर नहीं हैं, वहां पर कौन इन पाखानों की सफाई करेगा तो कहा गया कि बच्चे खुद साफ कर लेंगे। नतीजा यह हुआ कि दो दो या तीन तीन या चार चार सौ रुपये एक एक पर खर्च कर दिये गये, कहीं पर पाखाने

बने, कहीं बने ही नहीं और पैसे ठेकेदार खा गए।

गांवों में बीसियों तरह से कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के नाम पर फिजूलखर्ची होती है। जब इस तरह के काम होते हैं तो गांव के लोगों को मजाक करने का मौका मिल जाता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। कहा गया कि गांवों में मुर्गी फार्म खोले जायें। यह भी किया गया। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर उनको इन मुर्गी फार्मस को देखने का मौका मिले तो वह पायेंगे कि फार्म तो खुल हुए हैं, मगर मुर्गियां वहां पर कोई नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : मुर्गा है।

श्री सरजू पाण्डेय : न मुर्गियां हैं न ही मुर्गे हैं। कुछ भी नहीं है।

गांव में आपने स्कूल खोल रखे हैं। लेकिन हालत यह है कि बहुतों की इमारतें ही नहीं हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठते हैं। न ऋषि और न मुनि, बल्कि बीच के ही वे बन सकते हैं। बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अस्पताल आपने खोल रखे हैं लेकिन वहां पर न दवाई मिलती है और न ही डाक्टर होते हैं।

इसी तरह से एक गांव में हरिजनों के लिए उनके घरों में धुआंकश बनाने की योजना बनी। जब पूछा गया तो बताया गया कि हरिजनों की आंखों में धुआं लगता है, इसलिए धुआं निकलने का कोई रास्ता होना चाहिये। इन बेचारों के घरों में खाना बने या न बने, धुआंकश तैयार करने की योजना इनके लिए बन गई। कमाल का यह डिवेलेपमेंट है। समझ में नहीं आता है कि क्या योजना है।

आप देखें कि किस तरह से कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के नाम पर पैसे का दुरुपयोग गांवों में किया जा रहा है। अगर दरअसल में आप गांवों की तरक्की करना चाहते...

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): I have got this book here *Waste Makers.*

श्री सरजू पाण्डेय : मैं इस सिलसिले में कह रहा था कि जो भी इस में कुएं बनवाने की बात है, गांवों और कस्बों के अन्दर हेल्थ यूनिट्स की स्थापना की बात है, उस में और कम्यूनिटी डेवेलेपमेंट के जरिये और जो काम होते हैं, उन में लाजिमी तौर पर आधे से ज्यादा पैसा बरबाद होता है और उस पर अमल कम होता है। आप हमारे सूबे में, खास तौर से पूर्वी जिलों को, जहां से मैं आता हूं, जा कर देखिये, वहां पर किसी तरह से वह चीजें अमल में नहीं आ रहीं हैं जिन को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि गांवों में उन के जरिये से छोटे मोटे उद्योग चलाये जाते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज चलाई जाती जाती हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि छोटे मोटे उद्योग धन्धों के नाम पर सारे गांव के बड़े लोग कर्ज ले कर खा जाते हैं, कभी उन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हजारों केसेज पड़े हुए हैं लेकिन उन का ट्रायल नहीं हुआ क्योंकि नेता जी उन की मदद के लिये खड़े रहते हैं और उन से पैसा वसूल नहीं होता। हमारे सूबे के मिनिस्टर ने कहा कि जो लोन दिया गया है उस में से ९९ फी सादी लोन लोगों ने खा लिया है। यह सब बात कही जाती लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होत अभी हमारे यहां के पूर्वी जिलों में एक टीम विजिट करने के लिये गई थी। मैं ने इंडस्ट्रीज आफिसर से पूछा कि यह चीजें कहां कहां लगी हुई हैं तो उन्होंने कहा कि यह कहीं नहीं हैं और चीजें अंडर कंस्ट्रेक्शन हैं। कागज में तो लग गई हैं, लेकिन दरअस्ल हम लोगों ने जा कर देखा कि वह कहीं नहीं लगी हैं। इस तरह तो कम्यूनिटी डेवेलेपमेंट के लिये कहना है। अगर इस काम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप की

[श्री सरजू पाण्डेय]

उन की छोटी मोटी चेकिंग करनी चाहिये। गांव वालों से पूछना पड़ेगा कि किन चीजों की जरूरत है। उस के बाद ही आप योजना पर अमल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इस के कि यहां से सब कुछ बना कर भेजा जाय।

जहां तक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का सवाल है, यह एक अजीब किस्म की कोआपरेटिव है। मैंने यह बात पहले भी कही थी कि इसके अजीब अजीब कायदे कानून हैं और यह एक पैसा खाने का रास्ता सा बन गया है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का सूद इतना महंगा होता है कि इससे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं है। अगर वे लोग कोआपरेटिव से कर्ज लेते हैं तो दोहरे कर्ज में फंसते हैं। किसान एक बार कोआपरेटिव से कर्ज लेते हैं, फिर जो वह वसूल होने लगता है तो फिर वह महाजनों के पास जाता है और सवाये सूद पर रुपया लेता है। दूसरी बात यह है कि यहां कोआपरेटिव एक तरह से फाल्स कोआपरेटिव बनी हुई है। एक ही घर के सारे लोग कोआपरेटिव में बैठे होते हैं। अलग अलग नाम से वह कोआपरेटिव बनाते हैं और उसका सारा पैसा खाते हैं। यहां पर तो मिनिस्टर साहब अपनी रिपोर्ट में बतलाते हैं कि यह बड़ी शानदार कोआपरेटिव है, मगर लखनऊ में खुद उन्हों ने क्या फरमाया था, जरा इसको भी देखिये। यह बात जाहिर है कि उन्होंने यह बात ईमानदारी से तसलीम किया कि किस तरह से आफिशलडम का, सरकारी अधिकारियों का उस पर प्रभाव है। मिनिस्टर साहब ने कोआपरेटिव मिनिस्टरों की कान्फरेंस में फरमाया है :

"He criticized the States for their failure to implement the national policy in its true spirit. He revealed that in one State, despite the Central directive, three State Ministers were still holding positions of power in co-operative organisations. De-officialisation of co-operatives was only in name".

मिनिस्टर साहब इस तरह के स्टेटमेंट तो देते हैं पर अमल नहीं होता और हमारे पंडित जी कहते हैं कि आफिशडम नहीं होनी चाहिये। बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं बात करने का तो पेशा बन गया है सरकार में बैठ कर।

एक माननीय सदस्य : खाते भी तो उसी की हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : सरकार में बैठे हुए लोग खुद कोआपरेटिव की मुखालिफत करते हैं। एक साहब एलेक्शन में कहने लगे कि कोआपरेटिव का नाम मत लो, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, ऐसी तकरीर दो जिसमें कि कोआपरेटिव की मुखालिफत हो। खुद मिनिस्टर साहब ने इसे तसलीम किया है :

"The danger to co-operation arose not as much from those who opposed it from outside, as from the people who agreed with it in in principle but tried to sabotage it from within."

इससे बड़ा क्रिटिसिज्म कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का हो नहीं सकता। यह उन्होंने लखनऊ में कहा है कोआपरेटिव मिनिस्टरों की कान्फरेंस में।

एक माननीय सदस्य : यह उन्होंने कहा है ?

श्री सरजू पाण्डेय : आप डिनाई कर दीजिये तो काई बात नहीं है। यह तो साधारण बात है आप लागों के लिये। यही नहीं बिहार के बारे में जो कहा गया है वह भी सुन लीजिये। आपके श्री के० वी० सहाय ने खुद क्या फरमाया है, और वहां की रिपार्ट क्या है? श्री के० वी० सहाय ने इसको तसलीम किया है कि किस तरह पर बिहार में कोआपरेटिव का कांग्रेस वाले मिसयूज करते हैं। नाम नहीं है, लेकिन नेता के माने यहां कांग्रेसियों से ही है।

"It is an open secret that large number of cooperative organisations are being controlled by the

political leaders and their proteges who have been largely responsible for the misuse of their financial resources."

अब बतलाइये यह लिखा है।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : कोआपरेटिव्ज को पोलिटिकल पार्टीज चला रही हैं और उसमें आप भी शामिल हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : बिहार की पोलिटिकल पार्टीज में ऐसी कोई पार्टी पावर में नहीं है जितने कि आप लोग हैं। तो यह मामला है। किस तरह से जमींदार लोग कोपरेटिव डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और उसकी सारी चीजों का इस्तैमाल करते हैं और कोआपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं। अभी एक टीम विजिट करने के लिये गई थी कि किस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग हो रही है। मेम्बर साहबान घूमने गये थे उन्होंने इसके लिये अपनी राय दी है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर क्या चीज हो रही है। पंजाब के बारे में उन्होंने कहा :

"The large disparity among the holding of the members would lead to big landloards exploiting other members."

पंजाब की कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में उनकी यह ओपीनियन है कि किस तरह से बड़े बड़े लोग गरीबों को एक्सप्लायट करते हैं। यही नहीं :

"The old cooperative farms are in the hands of big landlords or under the influence of the village heads. In some cases the peasants were denied their rights and fair wages. In one society the rich landlord was in control of the whole society."

यह है कोआपरेटिव फार्मिंग आप की। यू० पी० के बारे भी यही ओपीनियन है। पंजाब, बिहार, मैसूर का उन लोगों ने दौरा किया है और बतलाया है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र, पंजाब, मैसूर और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में कोई खास फार्मिंग नहीं है। एक फार्म की बात कही गई है रामपुर में। उसके लिये कहा गया है। इस टीम में सरकारी पक्ष के ही लोग थे; यह मेरी आलोचना नहीं है। उन्होंने यू० पी० के पांच फार्म्स में से तीन के बारे में क्या लिखा है यह सुनिये :

"Three other pilot societies have been formed by the land-owners not accustomed to work on the farm".

जमींदारों ने ट्रैक्टर खरीद लिया और फार्मिंग कर ली। हो गई कोआपरेटिव फार्मिंग।

"The farm work was carried out by a large number of labourers. In the case of another society, none of the members work on the farm. They belong to one family."

यह कोआपरेटिव फार्मिंग उत्तर प्रदेश की है जिसकी चमकते हुए हर्फों में तारीफ की गई है। इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि अगर दरअस्ल आप चाहते हैं कि मुल्क में कोआपरेटिव बढ़े और दरअस्ल कम्युनिटी डेवेलपमेंट का मुल्क में फैलाव हो तो लाजिमी तौर पर आप को एक नया परिवर्तन साहस के साथ लाना पड़ेगा। इस तरह से नहीं कि हमने मिनिस्टरों से कह दिया। स्टेट मिनिस्टर कभी भी आपकी पालिसी को लागू करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे इस पर कितना अमल करते हैं खुद आप इस बात को समझते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि दरअस्ल अगर इस आन्दोलन को शक्तिशाली बनाना है तो लोगों में विश्वास के साथ साथ को आपरेटिव की भावना उत्पन्न कीजिये क्योंकि हम एक ऐसे समाज के हैं जो व्यक्ति को पहले और समाज को बाद में समझता है। हमारा यह नारा है कि पहले घर में दिया जलाओ बाद में बाहर। जो समाज को बलिदान करता है व्यक्ति की

[श्री सरजू पाण्डेय]

हिफाजत के लिये, इस विचार को बदलना पड़ेगा। लेकिन यह तभी बदलेगा जब समाज के शक्तिशाली लोगों के हाथों से पावर आप लेंगे। जब तक गांव में बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े खेतों वाले बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं तब तक यह चों चों का मुरब्बा नहीं चलने वाला है। दूसरे देशों में जहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग है वहां लाजिमी तौर पर इन विचारों को बदल दिया गया और गरीब लोगों को इस बात का मौका दिया कि वे फायदा उससे उठायें। आज भी हमारे देश के कोई गरीब आदमी कोआपरेटिव से फायदा नहीं उठाते हैं। न हरिजन उसका फायदा उठाते हैं, न दूसरे एग्रीकल्चरल लेबरर उसका फायदा उठाते हैं, बल्कि वही बड़े बड़े लोग जो पहले फायदा उठाते थे आज भी कोआपरेशन के नाम से सारी चीजों को लूटते और खाते हैं और कोआपरेटिव एक मजाक बन कर रह गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर दरअस्ल इस मूवमेंट को चलाना है तो उन तमाम लोगों को जो इन विचारों के हैं साथ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल अपने दल वालों को ही साथ लिया जाए। हम देखते हैं कि बैंकों पर कब्जा करने के लिए, परिषदों पर कब्जा करने के लिए लाठियां इकट्ठी होती हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस को राजनीति से अलग रखना चाहिए। गांव पंचायतों को राजनीति से अलग तभी रखा जा सकता है जब उनके प्रधानों को जिला परिषद् के चुनने का अधिकार न हो। चुनाव में लोग सभापतियों को रात में सोते उठा ले जाते हैं और उनका वोट ले लेते हैं। तो आपको गांव पंचायतों को और इस कोआपरेटिव के काम को राजनीति से अलग रखना चाहिए। और इनके लिए डाइरेक्ट इलेक्शन कराया जाए। और गांवों के हर तबके को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि सारे लोग सही मानों में कोआपरेटिव मूवमेंट से फायदा उठा सकें।

श्री द्वारकादास मंत्री (भोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सामुदायिक विकास का काम १३ वर्षों से चल रहा है। इस विभाग ने विकास का काम हर गांव तक पहुंचाया है। खेती के मामले में पहली पंच वर्षीय योजना में जोर दिया गया और हम देखते हैं कि इस एजेंसी की सहायता से काश्तकार काफी आगे बढ़े हैं। जो चार्जें हमारे काश्तकारों को मालूम नहीं थीं, जैसे कि नये तरीके से खेती करना, नई खाद डालना, नये तरीके अपनाना, इस विभाग के द्वारा वे चार्जें हमारे गांवों में पहुंचा हैं और हम देखते हैं कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने में काफी सफलता मिली है और मिल रही है।

दूसरी पंच वर्षीय योजना में पंचायत राज का बहुत बड़ा काम हाथ में लिया गया। कई राज्यों में पंचायत राज्य अस्तित्व में आ गया है और काम हो रहा है। जो यह कहा जाता है कि गांवों में लीडरशिप पैदा हो और गांव अपने अपने पांवों पर खड़े हो सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, तो यह काम इस विभाग द्वारा किया जा रहा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में काफी काम हुआ है। किन्तु इसको बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पंचायत राज्य के जो भी अच्छे बुरे अनुभव आ रहे हैं उनको देखते हुए हमें उस में सुधार करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने इस काम के लिए एक कमेटी बनायी है, उसकी रिपोर्ट का वह इन्तिजार कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर उसकी सिफारिशों के अनुसार सुधार किया जायगा ऐसी मुझे आशा है।

हम कहते हैं कि खेती का उत्पादन बढ़े, लेकिन जो काश्तकारों की आवश्यकतायें हैं उनकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए

उतना ध्यान नहीं दिया जाता । हम देखते हैं कि कोआपरेटिव द्वारा किसानों को कर्ज दिया जाता है । यह उसूल रखा गया है कि किसानों से ७ पर सेंट से ज्यादा सूद न लिया जाये । लेकिन हम देखते हैं कि उनको ७ पर सेंट से बहुत ज्यादा देना पड़ता है । स्टेट कोआपरेटिव बैंक और काश्तकार के बीच में अपेक्स बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक है, उसके बाद तालुका सुपरवाइजिंग यूनियन है और उसके बाद सोसाइटी है और सोसाइटी के लोगों के अखराजात भी काश्तकारों पर पड़ते हैं और नतीजा यह होता है कि काश्तकार को ७ पर सेंट के बजाये १२ पर सेंट तक खर्च करना पड़ता है । इस में दुरुस्ती होने की आवश्यकता है ।

इसके बाद जो सोसाइटीज काम करती हैं उनके पास काफी पैसा नहीं । वे अपना खर्च चलाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हैं । ऐसी संस्थाओं को गवर्नमेंट ग्रांट दी जानी चाहिए । अभी प्रोड्यूसर सोसाइटीज से लेकर मारकेटिंग सोसाइटीज तक जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं वे अपना खर्चा पूरा नहीं कर पातीं । इस दृष्टि से उनको सहायता देना सरकार के लिए बहुत आवश्यक है । अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो इनके काम में आप को थोड़े दिनों में असफलता नजर आयेगी ।

विलेज वालंटियर फोर्स की बात कही जाती है और आशा की जाती है कि इनके द्वारा उत्पादन बढ़ेगा । अभी गांवों में यह मालूमात नहीं हैं कि किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाये, कम्पोस्ट किस तरह बनाया जाये, नये आलात का इस्तैमाल कैसे किया जाये और उन से क्या फायदा होता है आदि । खेती के बारे में किसानों को जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए वह अभी तक काफी नहीं मिला है । विलेज वालंटियर फोर्स का उद्घाटन कर दिया गया है लेकिन हम देखते हैं कि वे गांवों में अभी कम पहुंचे हैं । जहां जहां पहुंचे हैं वहां उनके कोई कार्यक्रम हाथ में लेने में दुश्वारियां हैं । तो मैं चाहूंगा कि हर गांव के लिए एक मॉडेल प्रोग्राम बनाया जाये और गांवों में ऐसे लोगों को भेजा जाये जो कि काश्तकारों को खेती के सम्बन्ध में सूचना दे सकें ।

लेबर बैंक्स की बात भी कही जाती है, लेकिन वह चीज अभी केवल कागज पर ही है । अभी उसका प्रेक्टिकल तौर पर उपयोग नहीं हुआ है ।

सब से बड़ी दिक्कत किसानों को सड़कों की है । गांवों में कच्चे रास्ते हैं जिन पर माल ले जाने में किसानों को कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है । उनकी गाड़ियां भी पुराने किस्म की हैं । और अच्छी सड़कें न होने से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है ।

पंचायत राज्य के सिलसिले में बहुत कुछ किया जा रहा है किन्तु हम देखते हैं कि जो कानून एक स्टेट में है वह दूसरी स्टेट में नहीं है । हर एक स्टेट अपने अपने अलग अलग ढंग से कानून बना रही है । इसलिए अलग अलग ढंग से काम हो रहा है । मैं चाहूंगा कि चूंकि पंचायत राज पर हमारे समाज का बुनियादी ढांचा बनने वाला है, इसलिए सारे देश में इस बारे में एक सा ही कानून प्रचलित किया जाये ताकि अच्छी सफलता मिल सके ।

इस के बाद कोआपरेशन के सिलसिले में एक और चीज कहना है । आजकल हम यह देखते हैं कि सहकार का काम कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित हो कर रह गया है । एक ही आदमी के हाथ में कई सोसाइटीज के सूत्र एकत्र हो गये हैं । एक ही आदमी अलग अलग सोसाइटियों का चेयरमैन बनता जा रहा है । कोआपरेटिव बैंक का भी वही चेयरमैन है, मारकेटिंग सोसाइटी का भी वही चेयरमैन है, सुपरवाइजिंग यूनियन का भी वही चेयरमन है, रिक्शा यूनियन का वही चेयरमन है कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी का वही चेयरमन है । तो इस तरह एक ही आदमी अनेकों सोसाईटियों का सूत्रधार बन जाता है ।

श्री दो० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुर्गी पालन के भी वही चेयरमन हो जाते हैं ।

श्री द्वारकादास मंत्री : तो इस तरह से इस काम का कांस्ट्रक्शन कुछ हाथों में होता जा रहा है जिससे कोआपरेटिव को खतरा होने वाला है । हम देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटीज अगर एक ही आदमी के हाथ में बीस बीस और पच्चीस पच्चीस होती हैं तो उनका काम खराब होता है जैसा कि रिपोर्टों से पता चलता है । इसी तरह अगर कोआपरेटिव के काम का भी कांस्ट्रक्शन कुछ ही हाथों में हो गया तो इसके लिए खतरनाक हो सकता है और अगर ऐसा हो गया तो यह काम सफल नहीं होगा । इसलिए अगर अभी से इस ओर ध्यान दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । खेती का उत्पादन बढ़ा है और उस उत्पादन का मूल्य भी बढ़ा है । इसलिए जमीन के खरीदने तथा जमीन बेचने की कीमत भी बढ़ गयी है । कीमत बढ़ने के कारण भूमि उन लोगों के पास नहीं जाती जिन के पास जमीन नहीं है, बल्कि उनके पास जाती है जो ज्यादा पैसा दे सकते हैं । वह जमीन एग्रीकल्चुरल लेबरर या टिनेंट को नहीं मिल पाती । मेरा सुझाव है कि जमीन बचने के सम्बन्ध में कुछ ऐसा नियंत्रण रखा जाये जैसा कि सोने के सम्बन्ध में रखा है । मेरा सुझाव है कि ऐसा नियम बना दिया जाये कि जो जमीन खरीदी या बेची जाये उस को केवल कोआपरेटिव सोसाइटी के मारफत ही खरीदा या बेचा जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि बहुत से अफसरों को कोआपरेटिव और कम्युनिटी डवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है, मगर उसके बाद उनको उस काम पर न लगाकर दूसरे विभागों में जैसे रेवेन्यू आदि विभागों में लगा दिया जाता है उससे उनके प्रशिक्षण का लाभ देश को नहीं मिल पाता ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव्स की एलेक्शन मशीनरी नहीं है । एलेक्शन मशीनरी न होने की वजह से जो गड़बड़ हम देख रहे हैं उस का मैं एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं । एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में २२ डाइरक्टर्स है और जो चेअरमैन पिछला है वही चेअरमैनी के वास्ते आगे भी आने वाला है । उस ने जब देखा कि मैं चेअरमन फिर से नहीं हो सकता हूं तो जिस दिन एलेक्शन है उस दिन ३ डाइरक्टर्स को डिसक्वालिफाई कर देता है । अब उस के वास्ते आरबिटरेशन में चला जाना पड़ता है । एक साल आरबिटरेशन होने में और उसका निर्णय होने में लग जाता है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि वह पिछले चेअरमन आगे भी चेअरमन बने रहते हैं । इसलिए मेरा निवदन है कि कोआपरेटिव के लिए एक स्पेशल एलेक्शन मशीनरी होनी चाहिए

. . . . . .

18 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री द्वारका दास मंत्री : मैं आप की आज्ञा से एक मिनट में एक दो सुझाव और रख देना चाहता हूं ।

जिस तरह की सुविधा इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, उसी तरह की सहूलियत एग्रीकल्चरिस्ट्स को भी दी जायें । केला और आम देश से बाहर भजने के लिए सहूलियत देनी चाहिए । कोआपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत यह काम किया जाय और उनको एक्सपोर्ट के लिए जरूरी सहूलियतें दी जांय । जो सुविधायें इंडस्ट्रियलिस्ट्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को माल बाहर भजने के लिए दी जाती हैं वही सुविधायें एग्रीकलचरिस्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी दी जांय ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लाक डैवलपमैंट आफिसर्स ने गांव पंचायतों और ताल्लुका पंचायतों के एलेक्शंस में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया है । देश में जो हम एक सही प्रकार की लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं उस में असफल होने का इस कारण डर पैदा हो गया है । इस विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यह ब्लाक डैवलपमैंट आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट डवलपमैंट आफिसर्स इस प्रकार से कहीं भी उन निर्वाचनों मे सम्बन्ध न रक्खें ।

जहां तक अनएम्प्लायमैंट का सवाल है हम देख रहे हैं कि यह समस्या अभी तक हल नहीं हो पायी है । देश में अभी भी बेकारी फैली हुई है । मुझे आशा है कि सरकार द्वारा इस को हल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा और इस को कम करने की कोशिश की जायगी ।

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 4, 1963/Chaitra 14, 1885 (Saka).